

# लोकसभा अध्यक्ष



लोकसभा का **संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख** जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है

लोकसभा के लिये जैसे **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष** होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु **सभापति/उपसभापति** होता है

## भारत में उत्पत्ति

- ➔ 1921 ( भारत सरकार अधिनियम 1919 ) प्रेसीडेंट तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के रूप में

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) में बदल दिया

## निर्वाचन ( अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों )

- ➔ अनुच्छेद 93, भाग V
  - एक साधारण बहुमत द्वारा
  - पुनः निर्वाचन हेतु पात्र

## निर्वाचन हेतु मानदंड

- ➔ लोकसभा का सदस्य होना चाहिये
- ➔ कोई विशेष योग्यता नहीं
- ➔ आम तौर पर, सत्ताधारी दल से संबंधित होता है

## कार्यकाल:

- ➔ 5 वर्ष ( अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक )

लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष/स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है

## शक्तियाँ

- ➔ लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार; उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी हैं
- ➔ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
- ➔ गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग/बैठक को स्थगित कर सकता है
- ➔ गतिरोध को दूर करने के लिये मतदान करने की शक्ति
- ➔ निर्णय करता है:
  - कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं
  - लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता ( 10वीं अनुसूची के तहत ) ( यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रदान की गई )

## पद से हटाना ( शर्तें )

- ➔ यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता/रहती
- ➔ उपाध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र
- ➔ प्रभावी बहुमत से हटाया जाना

[और पढ़ें...](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/speaker-22>

